# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3736 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनाँक : 3 /06/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ग्यारहवीं* बैठक (आपात) शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति | – | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ.. रोहिणी प्रसाद | – | सदस्य |
| 3. | डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान | – | सदस्य |
| 4. | डॉ. भगवंत सिंह | – | सदस्य |
| 5. | डॉ. एस.सी. नैथानी | – | सदस्य |
| 6. | डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय | – | सदस्य |
| 7. | डॉ. पी.सी. अग्रवाल | – | सदस्य |
| 8. | श्री एस.के. चकवर्ती | – | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश मारोठिया | – | सदस्य |
| 10. | श्री ललित सुरजन | – | सदस्य |
| 11. | श्री श्रीचंद सुंदरानी | – | सदस्य |
| 12. | श्री नवीन मार्कण्डेय | – | सदस्य |
| 13. | श्री सत्यनारायण शर्मा | – | सदस्य |
| 14. | श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव | – | सचिव |

## –: कार्यवृत्त :–

**विषय कमांक–1** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालयकर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

**विषय कमांक–2** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। इनके साथ निर्णय लिया गया कि ऐसे महाविद्यालय जिनका निरीक्षण के बाद परफारमेंस इंडेक्स 0.5 अथवा इससे कम है उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाए कि, क्यों न उनके महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश, सत्र 2015–16 के लिए प्रतिबंधित किया जावे ?

बी.एड् से संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत परफारमेंस इंडेक्स एवं शिक्षकों की जानकारी NCTE एवं SCERT को दिया जावे, ताकि वे मान्यता के संबंध में निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को जानकारी दे सके।

**विषय कमांक–3** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

**निर्णयः** (1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ.ग. शासन वित एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 155/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पुनरक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ. ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 158/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/ परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) छत्तीसगढ़ शासन वित एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक 145/एफ/2015–21–00650/वि/नि/चार नया, रायपुर, दिनांक 14 मई, 2015 में चिकित्सा भत्ता सुविधा संबंधी दी गई वित निर्देश को अक्षरशः अंगीकृत करते हुए यह सुविधा विश्वविद्यालय के सभी (कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों) को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

(4) विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के प्रकरण के संबंध में विचार–विमर्श पश्चात् सर्व–सम्मिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से विभागाध्यक्षों के माध्यम से पत्र लिखकर प्रशासनिक पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त किया जावें यदि सहमत हो तो उन्हें प्रशासन में संविदा अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक कार्य हेतु पदस्थ किया जावे।
2. क्रम संख्या 01 में विश्वविद्यालय शिक्षकों को सहमति प्राप्त नही होने की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापना करने हेतु पत्र लिखा जावे। नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु निवेदन किया जावे।
3. उपरोक्त व्यवस्था होने तक संविदा पर अधिकारियों से सेवाएँ ली जावे ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो।

**अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।**

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

D:\back\shital\MEETINGS\karya-prishad\MINUTS\4 EC MEETING 29 MAY 2015.docx

पृ. कमांक 3737 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 3/06/2015

**प्रतिलिपि** :—1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

1. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।

4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,

5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,

6. समस्त विभागीय अधिकारी,

7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)

D:\back\shital\MEETINGS\karya-prishad\MINUTS\4 EC MEETING 29 MAY 2015.docx